हिन्दुस्तान • लखनऊ • बुधवार • 13 जून 2012

विकलांगों को उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज पर कर्ज

राज्य मुख्यालय। विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 36 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विकलांग छात्रों को 3.5 से 4 फीसदी की दर से शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। ये जानकारी विकलांग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वीएन गर्ग ने दी। ऋण वितरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ऋण जारी करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।

श्री गर्ग ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिए कि विकलांगों को रोजगार के लिए ऋण दिया जाए। वहीं अकुशल विकलांगों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। जिन जिलों में विकलांग प्रमाण पत्र बनने में दिक्कत आ रही है वहां के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

उन्होंने बताया कि व्यवहारिक तकनीकि प्रशिक्षण दिलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। बैठक में मौजूद राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हर्ष भाल ने बताया कि छात्रवृत्ति में नेशनल फण्ड में देश भर से 500 व ट्रस्ट फण्ड में एक हजार विकलांग छात्रों का चयन होता है। प्रसं